

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1844
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन

1844. डॉ. संघमित्रा मौर्यः
श्रीमती संध्या रायः
श्री मनोज तिवारीः
श्री रमेश बिधूड़ीः
डॉ. ढालसिंह बिसेनः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने एलपीजी कनेक्शन संवितरित किए गए हैं;
- (ख) विगत चार वर्षों के दौरान पीएमयूवाई के अंतर्गत भिंड, दतिया निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;
- (ग) क्या यह सच है कि पीएमयूवाई के अंतर्गत लगभग दस करोड़ एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं या कम संवितरित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) पीएमयूवाई के अंतर्गत देश में एलपीजी कवरेज बढ़ाने के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई है और क्या प्रयास किए गए हैं; और
- (ङ) मध्य प्रदेश में भिंड के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और परिवारों पर विशेष ध्यान देते हुए उक्त पहल ने ग्रामीण परिवारों के जीवन को किस प्रकार सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ.) पूरे देश में गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार भिंड जिले में 1.62 लाख तथा दतिया जिले में 1.06 लाख कनेक्शनों सहित देश में 9.59 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए गए हैं। पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

पीएमयूवाई के तहत निधियों का कोई राज्य/संघ शासित प्रदेश/जिला-वार आबंटन नहीं किया जाता है। पीएमयूवाई की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक सरकार सिलिंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेग्युलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और स्थापना प्रभारों के लिए अधिकतम 1600 रुपए प्रति

पीएमयूवाई कनेक्शन का व्यय वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से 14.2 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन/5

कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन के लिए इस व्यय को बढ़ाकर 2200 रुपए प्रति कनेक्शन तथा 5 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1300 रुपए प्रति कनेक्शन कर दिया गया है। पिछले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों में पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

जिला	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भिंड	17122	0	22100	6414
दतिया	11943	0	8376	1952

पीएमयूवाई के तहत घरेलू एलपीजी कनेक्शन बंद नहीं किए जाते हैं। यदि यह पाया जाता है कि लाभार्थियों ने पंजीकरण के समय पात्रता संबंधी गलत जानकारी प्रस्तुत की है तो पीएमयूवाई कनेक्शनों को ब्लॉक कर दिया जाता है अथवा लाभार्थियों के अनुरोध के आधार पर अभ्यर्पित किया जाता है।

देश में एलपीजी की कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें पीएमयूवाई को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाना, पंजीकरण तथा कनेक्शन वितरित करने के लिए मेले/शिविर आयोजित करना, घरों के बाहर होर्डिंग्स (ओओएच), रेडियो जिंगल, जानकारी, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैनस आदि के जरिए एलपीजी को बढ़ावा देना, अन्य पारंपरिक ईंधनों के स्थान पर एलपीजी का इस्तेमाल करने और प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत (पीएमएलपी) के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित इस्तेमाल के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पंजीकरण/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों की मदद करना और बैंक खाते खोलना, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, pmuy.gov.in पर, निकट के एलपीजी वितरकों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि पर पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, 5 कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर को बदलकर 5 कि.ग्रा. सिलिंडर लेने का विकल्प, प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण और राशन कार्ड के स्थान पर स्व-घोषणा के आधार पर नया कनेक्शन प्राप्त करने का प्रावधान आदि शामिल हैं।

स्वतंत्र रूप से किए गए अध्ययनों और रिपोर्टों में दर्शाया गया है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, खास तौर से महिलाओं तथा ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रह रहे परिवारों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ प्रमुख फायदे संक्षेप में नीचे स्पष्ट किए गए हैं:

(i) पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप खाना बनाने के पारंपरिक तरीकों, जिनमें लकड़ी, गोबर और फसलों के अवशेष जैसे ठोस ईंधनों को जलाना शामिल है, को बदल दिया गया है। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से घरों में होने वाला प्रदूषण कम होता है जिससे खास तौर से पारंपरिक रूप से घरों में धुएं से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होने वाली महिलाओं और बच्चों का श्वसन संबंधी स्वास्थ्य बेहतर होता है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों खास तौर से दूर दराज के स्थानों पर रहने वाले परिवारों का अधिकांश समय और ऊर्जा पारंपरिक रसोई ईंधनों को इकट्ठा करने में लग जाती है। एलपीजी से गरीब परिवारों की महिलाओं द्वारा खाना

बनाने के कार्य में नीरसता और उसमें लगने वाले समय में कमी आई है। इसलिए उन्हें मिले फुरसत के समय का इस्तेमाल आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

(iii) बायोमास और पारंपरिक ईंधनों के स्थान पर एलपीजी का इस्तेमाल करने से खाना बनाने के लिए लकड़ी और अन्य बायोमास ईंधनों पर निर्भरता कम होती है जिससे वनों की कटाई तथा पर्यावरणीय नुकसान में कमी आती है। ये फायदा न केवल परिवारों को मिलता है अपितु इससे व्यापक पर्यावरण संबंधी प्रयासों में भी मदद मिलती है।

(iv) खाना बनाने के लिए एलपीजी के इस्तेमाल से खुली आग से संबंधित दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो जाता है जो खास तौर से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खाना बनाने के पारंपरिक तरीकों से जुड़ी झुलसने और चोटों वाली दुर्घटनाएं कम होती हैं जिससे परिवार के माहौल को सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है।

(v) खाना बनाने की बेहतर सुविधाओं से भोजन की पौष्टिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवार आसानी से अनेक प्रकार के पौष्टिक भोजन तैयार कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

'पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन' के बारे में दिनांक 14.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतरांकित प्रश्न संख्या 1844 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या	
राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,444
आंध्र प्रदेश	5,12,433
अरुणाचल प्रदेश	49,245
असम	44,14,012
बिहार	1,07,35,289
चंडीगढ़	659
छत्तीसगढ़	34,92,160
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	15,033
दिल्ली	1,42,024
गोवा	1,265
गुजरात	38,42,970
हरियाणा	7,67,162
हिमाचल प्रदेश	1,40,776
जम्मू और कश्मीर के शासित प्रदेश	12,45,232
झारखंड	36,46,176
कर्नाटक	37,57,307
केरल	3,41,210
के शासित प्रदेश लद्दाख	11,094
लक्षद्वीप	309
मध्य प्रदेश	82,27,217
महाराष्ट्र	48,89,709
मणिपुर	2,02,029
मेघालय	2,14,851
मिजोरम	33,595
नगालैंड	91,806
ओडिशा	53,20,752
पुदुचेरी	14,835
पंजाब	12,83,827
राजस्थान	69,26,442
सिक्किम	13,795
तमिलनाडु	37,03,824
तेलंगाना	11,52,806
त्रिपुरा	2,83,503
उत्तर प्रदेश	1,75,00,658
उत्तराखंड	4,96,431
पश्चिम बंगाल	1,23,70,935